



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3388]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 11, 2017/अग्रहायण 20, 1939

No. 3388]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 11, 2017/AGRAHAYANA 20, 1939

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2017

का.आ. 3862(अ).—केन्द्र सरकार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का 69) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की दिनांक 26 नवंबर, 2013 की अधिसूचना सं. का. आ. 3488(अ) में संशोधन करती है :—

- लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) के अधीन पदेन अध्यक्ष:
 - सचिव, संस्कृति मंत्रालय
- लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन पदेन सदस्य :
 - संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय
 - संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय
 - संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय
 - संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय
 - संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय
 - संयुक्त सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
- लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन पदेन सदस्य :
 - संयुक्त सचिव, रा.रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार
 - संयुक्त सचिव, चण्डीगढ़ प्रशासन

4. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रोफेसर, इतिहासज्ञ तथा अभिलेखाधिकारी :
- (i) डॉ. सुष्मिता पांडे
152, विज्ञापन लोक अपार्टमेंट
मयूर विहार एक्सटेंशन, दिल्ली - 110091
- (ii) प्रो. कपिल कपूर
बी-2/332, एकता गार्डन, पटपड़गंज
निकट - मदर डेयरी,
दिल्ली - 110092
- (iii) डॉ. मीना गौतम
अभिलेख उपनिदेशक (सेवानिवृत्त)
बी-3, द्वितीय तल, कैलाश कॉलोनी
नई दिल्ली - 110048
5. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (ङ) के अधीन पदेन सदस्य सचिव :
- (i) अभिलेख महानिदेशक

सभी सदस्य अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए केन्द्र सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को स्वीकार्य दर से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार हैं।

[फा. सं. 16-16/2017-आर.एम.]

प्रणव खुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CULTURE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2017

S.O. 3862(E).—In exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of Section 13 of the Public Records Act, 1993 (No. 69 of 1993) the Central Government hereby nominates the following persons as members of the Archival Advisory Board for a period of three years from the date of notification and for the purpose, amends the Government of India, Ministry of Culture notification No. S.O. 3488(E), dated the 26th November, 2013.

1. Ex-officio Chairman - under clause (a) of sub-section (2) of section 13 of Public Records Act:—
- (i) Secretary, Ministry of Culture.
2. Ex-officio members – clause (b) of sub-section (2) of section 13 of Public Records Act, 1993):—
- | | | |
|-------|-----------------|---|
| (i) | Joint Secretary | Cabinet Secretariat |
| (ii) | Joint Secretary | Ministry of Home Affairs |
| (iii) | Joint Secretary | Ministry of Defence |
| (iv) | Joint Secretary | Ministry of External Affairs |
| (v) | Joint Secretary | Ministry of Finance |
| (vi) | Joint Secretary | Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions |
3. Ex-officio members - clause (c) of sub-section (2) of section 13 of Public Records Act, 1993):—
- | | | |
|------|-----------------|---------------------------|
| (i) | Joint Secretary | Government of NCT, Delhi. |
| (ii) | Joint Secretary | Chandigarh Administration |

4. Professors, Historians and Archivist under clause (d) of sub-section (2) of section 13 of Public Records Act, 1993):—
- (i) Dr. Sushmita Pande
152, Vigyapan Lok Apartments,
Mayur Vihar Extension,
Delhi – 110091.
 - (ii) Prof. Kapil Kapoor
B-2/332, Ekta Garden, Patpar Ganj,
Near Mother Dairy,
Delhi - 110092
 - (iii) Dr. Meena Gautam
Deputy Director of Archives (Retd.)
B-3, IInd Floor, Kailash Colony,
New Delhi – 110048.
5. Ex-officio Member Secretary under Clause (e) of Sub-section (2) of Section 13 of Public Records Act, 1993:—
- (i) Director General of Archives

All Members are entitled to draw travelling allowances and daily allowances for attending the meetings of the Archival Advisory Board at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government.

[F. No. 16-16/2017-RM]
PRANAV KHULLAR, Jt. Secy.